[2022] 7 एस. सी. आर 901

क.

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम.

दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ई. टी. सी., ई. टी. सी. (2022 की सिविल अपील संख्या 2935-2938)

05 मई, 2022

[एम**.** आर**.** शाह और बी**.** वी**.** नागरत्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996:एसएस।11(5), 11(6), 14 – मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति-पालन करने की प्रक्रिया-पक्ष-प्रत्यर्थी सं। 1 से 3 ने पारस्परिक सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया और बाद में एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को रद्द कर दिया-इसके बाद, प्रतिवादी नं। 1 और 3 ने यू/एस के तहत आवेदन दायर किए।14(1)(क) मध्यस्थता कार्यवाही के समापन में देरी के आधार पर एकमात्र मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए-इसकी विचाराधीनता के दौरान, अपीलार्थी ने आदेश के तहत एक आवेदन दायर किया।7 आर.11 आवेदन यू/एस की अस्वीकृति के लिए।14 – ट्रायल कोर्ट ने अपीलार्थी के आवेदन को खारिज कर दिया-इसके खिलाफ, अपीलार्थी ने रिट याचिका दायर की और प्रतिवादी नं। 1 ने एक मध्यस्थता मामला यू/एस दायर किया।11(6) एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने और एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति करने के लिए-उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता मामले की अनुमति दी और एक नया मध्यस्थता नियुक्त किया और रिट याचिका को खारिज कर दिया-अपील पर, अभिनिर्धारित कियाःएक आवेदन यू/एस।11(6) केवल उस मामले में बनाए रखा जाएगा जहां मध्यस्थता समझौते वाले पक्षों के बीच एक अनुबंध है और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की गई है और लिखित रूप में सहमत है -धारा 11 (5) को ऐसे मामले में आकर्षित किया जाएगा जहां धाराओं के अनुसार सहमत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है।11(2) – तथ्यों पर, एकमात्र मध्यस्थ को पार्टियों द्वारा स्वयं आपसी सहमति से और मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित अनुबंध के अभाव में नियुक्त किया गया था-इस प्रकार, एक आवेदन यू/एस।11(6) मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित समझौते के अभाव में मध्यस्थ के आदेश की समाप्ति के संबंध में विवाद बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।14(1)(क) न्यायालय के समक्ष, जैसा कि परिभाषित किया गया है, उठाया जा सकता है।2(ई) और यह उच्च न्यायालय द्वारा किए गए आवेदन पर निर्णय नहीं लिया जा सकता हैधारा 11 (6)-इस प्रकार, उच्च न्यायालय का निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है-इसके अलावा, यू/ऑर्ड 7 आर के तहत एक आवेदन।11 अनुमानों और ए पर विचार करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

आवेदन/वाद में आरोप और आवेदन/बचाव के लिए लिखित बयान/जवाब नहीं-निचली अदालत ने यू/ऑर्ड 7 आर के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया।11 – सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-अध्यादेश 7 आर।11.

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः**1.1** एकमात्र मध्यस्थ को पार्टियों द्वारा स्वयं आपसी सहमति से नियुक्त किया गया था।मध्यस्थता खंड वाला कोई लिखित समझौता/अनुबंध नहीं था।**[**माध्यस्थम और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **11** की उप**-**धारा **(5)** ऐसे मामले में लागू होगी जहां धारा **11** की उप**-**धारा **(2)** के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है और धारा **11** की उप**-**धारा **(6)** उस मामले में लागू होगी जहां मध्यस्थता समझौते वाला अनुबंध है और नियुक्ति प्रक्रिया पर सहमति है।इस प्रकार**,** मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते समय किसी भी लिखित अनुबंध की आवश्यकता नहीं है जिसमें कोई मध्यस्थता समझौता हो।लेकिन पक्षकार स्वयं आपसी सहमति से विवाद को मध्यस्थता के लिए एकमात्र मध्यस्थ को भेजने का निर्णय ले सकते हैं।उस मामले या आकस्मिकता में**,** धारा **11** की उप**-**धारा **(6)** बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगी और इसलिए**,** ऐसी स्थिति में**,** धारा **11** की उप**-**धारा **(6)** के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा।धारा **11** की उप**-**धारा **(6)** के तहत एक आवेदन केवल उस मामले में बनाए रखा जा सकता है जहां मध्यस्थता समझौते वाले पक्षों के बीच एक अनुबंध है और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की गई है और लिखित रूप में सहमत है।तत्काल मामले में**,** एकमात्र मध्यस्थ को पक्षों द्वारा स्वयं आपसी सहमति से और मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित अनुबंध के अभाव में नियुक्त किया गया था। इसलिए**,** अधिनियम**, 1996** की धारा **11 (6)** के तहत मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित समझौते के अभाव में आवेदन बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।**[**पैरा **6.2** और **6.3] [912-**सी**-**एफ**]**

ग

डी.

ई.

च

1.3 धारा **13,14** और **15** को छोड़कर**,** अधिनियम**, 1996** के तहत कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति और/या मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति से संबंधित है।अधिनियम**, 1996** की धारा **13** केवल उस मामले में लागू होगी जहां मध्यस्थ को ए के आधार पर चुनौती दी जाती है।

जी.

एच.

903

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी।

अधिनियम**, 1996** की धारा **12** में उल्लिखित।धारा **14** और **15** में मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने का प्रावधान है। अधिनियम की धारा **13,14** और **15** को एक साथ पढ़ने पर**,** यदि मध्यस्थ को अधिनियम की धारा **12** में उल्लिखित किसी भी आधार पर चुनौती दी जाती है**,** तो पीड़ित पक्ष को स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।हालांकि**,** अधिनियम**, 1996** की धारा **14 (1) (**ए**)** में उल्लिखित किसी भी घटना के मामले में और मध्यस्थ के आदेश को इस आधार पर समाप्त करने की मांग की जाती है कि एकमात्र मध्यस्थ न्यायिक रूप से और/या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है**,** पीड़ित पक्ष को अधिनियम**, 1996** की धारा **2 (**ई**)** के तहत परिभाषित संबंधित "अदालत" से संपर्क करना होगा।संबंधित न्यायालय को यह निर्णय लेना होगा कि क्या वास्तव में**,** एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायिक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है या अन्य कारणों से वह अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है।अदालत के समक्ष इस तरह के विवाद को उठाए जाने का कारण यह है कि धारा **14 (1) (**ए**)** में उल्लिखित घटनाओं को एकमात्र मध्यस्थ की अयोग्यता कहा जा सकता है और इसलिए**,** इस तरह के विवाद/विवाद पर संबंधित अदालत के समक्ष निर्णय लेना होगा जैसा कि अधिनियम**, 1996** की धारा **14 (2)** के तहत प्रदान किया गया है।जहाँ तक मध्यस्थ के आदेश की समाप्ति और/या अन्य प्रावधानों जैसे धारा **15 (1) (**ए**)** में उल्लिखित कार्यवाही की समाप्ति है जहाँ वह किसी भी कारण से पद से हट जाता है**;** या **(**बी**)** पक्षों के

समझौते द्वारा या उसके अनुसार, विवाद को संबंधित अदालत के समक्ष उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है।[पैरा. **4.1, 6.4.2, 6.5 & 6.7][919-**बी, एफ-जी; **920-**एफ-एच; **921-**ए-सी]

ग

डी.

ई.

च

1.4 एक बार जब मध्यस्थ को पारस्परिक सहमति से नियुक्त किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि अधिनियम, **1996** की धारा **14 (1) (**ए**)** को देखते हुए एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो गया था, तो अधिनियम, **1996** की धारा **11 (6)** के तहत अधिनियम की धारा **14 (1) (**ए**)** को देखते हुए मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा।एक बार मध्यस्थ की नियुक्ति हो जाने के बाद, यह विवाद कि क्या मध्यस्थ का अधिदेश अधिनियम की धारा **14 (1) (**ए**)** में निर्धारित आधारों पर समाप्त कर दिया गया है, अधिनियम, **1996** की धारा **11 (6)** के तहत एक आवेदन में तय नहीं किया जाना चाहिए।इस तरह के विवाद का निर्णय अधिनियम की धारा **11 (6)** और पीड़ित पक्ष के तहत एक आवेदन पर नहीं किया जा सकता है।

जी.

एच.

क.

अधिनियम की धारा **14** की उप-धारा **(2)** के अनुसार संबंधित "न्यायालय" से संपर्क करना होगा। **[**पैरा **8] [922-**एच; **923-**ए-बी**]**

1.5 अधिनियम, **1996** की धारा **11 (5)** और धारा **11 (6)** के बीच अंतर है।ऐसे मामले में जहां मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पक्षों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं है, पक्षकार पारस्परिक सहमति और/या समझौते द्वारा एक प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं और विवाद को एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है जिन्हें पारस्परिक सहमति से नियुक्त किया जा सकता है और अधिनियम की धारा **11 (2),** धारा **11 (5)** में निर्दिष्ट किसी भी समझौते में विफल रहने पर आकर्षित किया जाएगा और ऐसी स्थिति में, मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन अधिनियम की धारा **11 (5)** के तहत बनाए रखा जाएगा न कि अधिनियम की धारा **11 (6)** के तहत। एक ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता समझौते वाला एक लिखित समझौता और/या अनुबंध है और नियुक्त या प्रक्रिया पर पक्षों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, अधिनियम की धारा **11 (6)** के तहत एक आवेदन बनाए रखने योग्य होगा और उच्च न्यायालय या उसका नामित अधिनियम की धारा **11 (6) (**ए**)** से **(**सी**)** के तहत होने वाली किसी भी घटना के मामले में एक मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है। एक बार जब विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है और एकमात्र मध्यस्थ को पक्षों द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त किया जाता है और मध्यस्थ/मध्यस्थ इस तरह नियुक्त किए जाते हैं, तो मध्यस्थता समझौते को दूसरी बार लागू नहीं किया जा सकता है।ऐसे मामले में जहां धारा **14 (1) (**ए**)** में उल्लिखित आधार पर मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने पर विवाद/विवाद है, ऐसे विवाद को अधिनियम, **1996** की धारा **2 (**ई**)** के तहत परिभाषित "अदालत" के समक्ष उठाया जाना चाहिए और इस तरह के विवाद का निर्णय अधिनियम, **1996** की धारा **11 (6)** के तहत दायर आवेदन पर नहीं किया जा सकता है।**[**पैरा **11] [924-**एच; **925-**ए-एफ**]**

ग

डी.

ई.

च

1.6 ऐसा प्रतीत होता है और यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा **14 (2)** के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी कि मध्यस्थ की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी और इसलिए, अधिनियम, **1996** की धारा **14 (1) (**ए**)** के तहत उसके आदेश को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।हालाँकि, इस तरह के विवाद का निर्णय संबंधित न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाना है, जिसके समक्ष अधिनियम की धारा **14 (2)** के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और अधिक से अधिक, इसे बचाव पक्ष कहा जा सकता है, जिसका निर्णय संबंधित अदालत द्वारा किया जाना था।स्थिर स्थिति ए के अनुसार

जी.

एच.

905

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी।

कानून के अनुसार, आदेश **VII** नियम **11** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में केवल आवेदन/वाद में कथनों और आरोपों पर विचार किया जाना चाहिए न कि लिखित बयान और/या आवेदन और/या बचाव पक्ष के जवाब पर। इसलिए, निचली अदालत ने सी**.** पी**.** सी**.** के आदेश **VII** नियम **11** के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया। **[**पैरा **12] [925-**जी**-**एच**; 926-**ए**-**बी**]**

1.7 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द कर दिया जाता है।विवाद और/या विवाद, कि क्या अधिनियम, **1996** की धारा **14 (1) (**ए**)** के तहत एकमात्र मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो गया है या नहीं, अधिनियम, **1996** की धारा **14 (2)** के तहत दायर एक आवेदन पर अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के बाद, प्रतिवादी संख्या **1** और **3** ने अधिनियम, **1996** की धारा **14 (2)** के तहत अपने आवेदन वापस ले लिए हैं।पक्षकारों के बीच पर्याप्त न्याय करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिवादी संख्या **1** और **3** को उपचार के बिना नहीं छोड़ा गया है, अधिनियम, **1996** की धारा **14 (2)** के तहत संबंधित अदालत के समक्ष प्रतिवादी संख्या **1** और **3** द्वारा प्रस्तुत आवेदन/आवेदन पुनर्जीवित हो जाएंगे।अब संबंधित न्यायालय, जिसके समक्ष अधिनियम, **1996** की धारा **14 (2)** के तहत आवेदन/आवेदन दायर किए गए थे, कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर जल्द से जल्द और अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर इस पर विचार करेगा। यदि अंततः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश अधिनियम, **1996** की धारा **14 (1) (**ए**)** के अनुसार समाप्त कर दिया गया है और विशेष रूप से इस आधार पर कि मध्यस्थ की ओर से मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त करने में अनुचित देरी हुई थी, तो मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और उसी प्रक्रिया का पालन करके एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए जिसका वर्तमान एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय पहले पालन किया गया था।यदि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ के नाम से सहमत नहीं होते हैं, तो पीड़ित पक्ष अधिनियम की धारा **11 (5)** के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकता है। यदि अधिनियम की धारा **14 (2)** के तहत आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है और यह माना जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ का आदेश समाप्त नहीं किया गया है और उसकी ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में एकमात्र मध्यस्थ मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करेगा और अदालत के निर्णय से नौ महीने की अवधि के भीतर पुरस्कार घोषित करेगा जो लिया जाएगा।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

906 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 7 एस. सी. आर.

क.

अधिनियम**, 1996** की धारा **14 (2)** के तहत।उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है।**[**पैरा **13] [926-**सी**-**एच**; 927-**ए**-**बी**]**

एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट

लिमिटेड (2014) 11 एस. सी. सी. 560:[2013] 6 एससीआर 453; एस. पी. सिंगल

कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल राज्य

प्रदेश और अन्र। (2019) 2 एससीसी 488:[2018] 14 एससीआर

1005; एसीसी लिमिटेड बनाम ग्लोबल सीमेंट्स लिमिटेड **(2012) 7**

एससीसी 71:[2012] 6 एस. सी. आर. 215; भारत संघ और अन्य।

v. उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड

(2015) 2 एससीसी **52:[2014] 13** एस**.** सी**.** आर**. 1180-**संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

ग

[2013] 6 एस**.** सी**.** आर**. 453** पर निर्भर

पैरा **3.9**

[2018] 14 एससीआर **1005**

पर भरोसा किया

पैरा **3.9 [2012] 6** एस**.** सी**.** आर**. 215** पैरा **4.1 [2014] 13** एस**.** सी**.** आर**. 1180** पैरा **4.1** में निर्दिष्ट है।

डी.

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार:2022 की सिविल अपील Nos.2935-2938।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दिनांक 07.09.2017 के निर्णय और आदेश से, 2010 के WP Nos.11258 और 11259 में मध्य प्रदेश के जबलपुर में प्रधान सीट और 2015 के AC No.29 और 2017 के RP No.655 में दिनांकित 17.11.2017 के आदेश से।

ई.

दिव्यकांत लाहोटी, सुश्री प्रवीणा बिष्ट, परीक्षित आहूजा, सुश्री मधुर झावर, सुश्री विंध्य मेहरा, कार्तिक लाहोटी, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

च

अशोक लालवानी, प्रशांत कुमार, राजेश इनामदार, सिद्धांत सिंह, आदित्य भट, सुश्री रिपुल स्वाति, पाई अमित, सुनील सिंह परिहार, सुश्री चारू अंबवानी, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जी.

एम. आर. शाह, जे.

1. वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जबलपुर में मध्यस्थता मामला (ए. सी.) सं. 29/2015 और ए. में पारित विवादित सामान्य निर्णय और दिनांक 07.09.2017 आदेश से उत्पन्न होती हैं।

एच.

907

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

रिट याचिका संख्या 11258/2010 और 11259/2010 और समीक्षा याचिका संख्या 655/2017 में पारित दिनांकित 17.11.2017 आदेश, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद अधिनियम, 1996 के रूप में संदर्भित) की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पक्षों द्वारा स्वयं नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त कर दिया है और एकमात्र मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया है और इस आधार पर एक नया मध्यस्थ नियुक्त किया है कि एकमात्र मध्यस्थ का जनादेश अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) को देखते हुए समाप्त हो गया था।यह इस आधार पर है कि एकमात्र मध्यस्थ द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने में अनुचित और अनुचित देरी हुई थी।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने सिविल प्रक्रिया संहिता (सी. पी. सी.) के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज करते हुए विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की भी पुष्टि की है।

ग

2. संक्षेप में वर्तमान अपीलों की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

2.1 कि पक्षकारों के बीच एक विवाद जो संपत्ति के विभाजन के लिए एक पारिवारिक विवाद है, उत्पन्न हुआ।इसे एकमात्र मध्यस्थ को भेजा गया था।विद्वान मध्यस्थ को 04.08.2008 पर स्वयं पक्षों द्वारा एकमात्र मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया गया था।विद्वान मध्यस्थ ने पक्षकारों को लंबित आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए 14.03.2009 पर उपस्थित होने का निर्देश दिया।पक्षों के अनुरोध पर, मध्यस्थ ने 30.03.2009 पर सुनवाई स्थगित कर दी।इस तथ्य के कारण कि शहर में एकमात्र मध्यस्थ उपलब्ध नहीं था, 30.03.2009 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।इसमें प्रत्यर्थी संख्या 1 और 3-मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षों ने दिनांकित 11.07.2009 पत्रों के माध्यम से एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को रद्द कर दिया।पत्रों का जवाब एकमात्र मध्यस्थ द्वारा दिया गया था।इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 ने मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकारों ने मध्यस्थता कार्यवाही के समापन में देरी के आधार पर एकमात्र मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय (जिला न्यायालय) के समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत आवेदन दायर किए।अपीलार्थी ने अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत उक्त आवेदनों को खारिज करने के लिए सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि एकमात्र मध्यस्थ की ओर से कोई देरी नहीं हुई थी और इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत एकमात्र मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने का कोई सवाल ही नहीं था।दिनांक 15.07.2010 के आदेश के माध्यम से, विद्वत विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा यहां दिए गए सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

ई.

च

जी.

एच.

2.2 विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करते हुए, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष वर्तमान रिट याचिका संख्या 11259/2010 और 11258/2010 को प्राथमिकता दी और अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत आवेदनों को लंबित रखा-एक पक्षकार-दिनेश कुमार अग्रवाल ने अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक मध्यस्थता मामले को प्राथमिकता दी और एकमात्र मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने और एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति करने का अनुरोध किया।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थता मामला सं. 29/2015 को अनुमति दी है और कहा है कि मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने में एकमात्र मध्यस्थ की ओर से अनुचित और अनुचित देरी हुई थी और अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत उसका अधिदेश समाप्त हो गया था।नतीजतन, उच्च न्यायालय ने एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की है।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है, जिसमें अपीलार्थी ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी थी। 2. 3 अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर एक आवेदन पर अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत एकमात्र मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए और सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने वाली रिट याचिकाओं को खारिज करते हुए, अपीलार्थी ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

ग

डी.

ई.

3. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री दिव्यकांत लाहोटी ने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय ने अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर एक आवेदन पर अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने में भौतिक रूप से गलती की है।

च

3.1 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि एक मामले में, जहां एक मध्यस्थ पहले से ही पार्टियों द्वारा स्वयं नियुक्त किया गया था, बाद में, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत कोई भी आवेदन एकमात्र मध्यस्थ के जनादेश को समाप्त करने और/या मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए बनाए रखने योग्य नहीं था।3.2 विद्वान वकील श्री लाहोटी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि मध्यस्थ के आदेश को समाप्त किया जा सकता है और/या केवल मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार समाप्त किया जा सकता है।अधिनियम, 1996 की धारा 13,14,15,25 (ए), 30 और 32 पर निर्भरता रखी गई है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1996 के तहत उपरोक्त प्रावधानों के अलावा, मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

जी.

एच.

909

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

3.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) में उल्लिखित घटनाओं के मामले में, पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध उपाय अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित "अदालत" से संपर्क करना होगा।

क.

3.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री लाहोटी ने आगे कहा कि वर्तमान मामले में मध्यस्थता कार्यवाही के पक्षकारों ने वास्तव में अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत आवेदन प्रस्तुत किए थे, जो उस समय संबंधित अदालत के समक्ष लंबित थे जब अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत वर्तमान आवेदन दायर किए गए थे।

3.5 यह भी आग्रह किया जाता है कि वास्तव में अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) और धारा 11 (6) के बीच अंतर है।

ग

3.6 कि मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित अनुबंध के अभाव में, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) लागू नहीं होगी और इसलिए, उस प्रावधान के तहत एक आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा।3.7 कि अन्यथा भी, एकमात्र मध्यस्थ की ओर से मध्यस्थता कार्यवाही में कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी, जिसके कारण अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) और धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके अधिदेश को समाप्त किया जा सकता था।

डी.

3.8 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री लाहोटी द्वारा आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि एकमात्र मध्यस्थ की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी, इसलिए धारा 14 (1) (ए) को आकर्षित नहीं किया जाएगा।इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत आवेदन खारिज होने योग्य था और विद्वत विचारण न्यायालय को अपीलार्थी द्वारा दायर आवेदन को सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने की अनुमति देनी चाहिए थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खारिज करने और सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने में विद्वत निचली अदालत द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करने में गंभीर त्रुटि की है।

ई.

च

3.9 अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री लाहोटी ने एंट्रिक्स के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया।

निगम लिमिटेड बनाम देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड; (2014) 11

जी.

एससीसी 560 (पैरा 31 और 33) और इस न्यायालय के बाद के निर्णय में

एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ

हिमाचल प्रदेश और अन्र. (2019) 2 एस. सी. सी. 488 उनकी इस दलील के समर्थन में कि एक बार पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता कार्यवाही का आह्वान करने और मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के बाद, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत बाद का आवेदन विचारणीय नहीं होगा।

एच.

910

4. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अशोक लालवानी और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री राजेश इनामदार ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध किया है।प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री लालवानी ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, जब यह पाया गया कि मध्यस्थ की ओर से मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त करने में अनुचित देरी हुई थी, तो अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) को ध्यान में रखते हुए उनके आदेश को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया था।

4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) के अनुसार, उपयोग किया गया शब्द "होगा" है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह प्रावधान है कि एक मध्यस्थ का अधिदेश "समाप्त" हो जाएगा और उसे किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, यदि वह, न्यायिक रूप से या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, एक बार जब यह पाया जाता है कि मध्यस्थ अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) में उल्लिखित घटनाओं के कारण अपने कार्यों को करने में असमर्थ है, तो मध्यस्थ के अधिदेश की स्वतः समाप्ति होगी और उसे किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।ए. सी. सी. लिमिटेड बनाम के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा गया है।

ग

डी.

ग्लोबल सीमेंट्स लिमिटेड**; (2012) 7** एस**.** सी**.** सी**. 71** और भारत संघ और अन्य बनामउत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड**; (2015) 2**

एससीसी 52। 4.2 प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री लालवानी ने आगे कहा है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वान विचारण न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को अस्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की है। यह आग्रह किया जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ की ओर से अनुचित देरी हुई या नहीं, यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाना है और इसे अधिक से अधिक बचाव कहा जा सकता है।कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में कानून की तय स्थिति के अनुसार केवल आवेदन/वाद में किए गए कथनों पर विचार किया जाना आवश्यक है न कि बचाव पक्ष और/या लिखित बयान में बताए गए मामले और/या किसी भी आवेदन का जवाब।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया और अधिनियम, 1996 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत आवेदन को सही ढंग से अस्वीकार कर दिया।कि किसी भी मामले में, विवादित आदेश पारित करने के बाद, मूल आवेदक-उत्तरदाताओं ने अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत अपने आवेदन पहले ही वापस ले लिए हैं।

ई.

च

जी.

4.3 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

एच.

911

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

हमने संबंधित पक्षों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील को विस्तार से सुना है।

6. निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार के लिए उत्पन्न होते हैंः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) क्या उच्च न्यायालय अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को समाप्त कर सकता है?

((ii) क्या मध्यस्थता समझौते वाले किसी लिखित अनुबंध के अभाव में, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य होगा?

((ग) क्या अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (5) और धारा 11 की उप-धारा (6) के बीच कोई अंतर और अंतर है?

ग

((iv) क्या धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत आवेदन ऐसे मामले में बनाए रखने योग्य होगा जहां पक्षकार स्वयं पारस्परिक सहमति से एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करते हैं?

डी.

(v) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन में एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को इस आधार पर समाप्त करना उचित था कि मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने में एकमात्र मध्यस्थ की ओर से अनुचित देरी हुई थी, जिससे उसका आदेश समाप्त हो जाएगा?

ई.

(vi) क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, विद्वत विचारण न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत आवेदन को अस्वीकार करने के लिए प्रस्तुत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को खारिज करने में न्यायसंगत था?

च

प्रश्न संख्या (i) से (v) आपस में जुड़े हुए हैं।इसलिए, सभी पर विचार किया जाता है और एक साथ निर्णय लिया जाता है।

6.1 वर्तमान मामले में एकमात्र मध्यस्थ पक्षकारों द्वारा स्वयं आपसी सहमति से नियुक्त किया गया था।मध्यस्थता खंड वाला कोई लिखित समझौता/अनुबंध नहीं था।

जी.

6.2 धारा 11 की उप-धारा (2) के अनुसार, उप-धारा (6) के अधीन, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।धारा 11 की उप-धारा (5) में प्रावधान है कि

एच.

एकल मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते में विफल रहने पर, यदि पक्षकार एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो न्यायालय एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।तथापि, ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता समझौता है और लिखित अनुबंध और नियुक्ति प्रक्रिया पर पक्षकारों द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) को आकर्षित किया जाएगा और धारा 11 की उप-धारा (6) में होने वाली घटनाओं पर, एक पक्षकार अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अनुरोध कर सकता है।

इसलिए, धारा 11 की उप-धारा (5) ऐसे मामले में लागू होगी जहां धारा 11 की उप-धारा (2) और धारा 11 की उप-धारा (6) के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया नहीं है।इस प्रकार, मामले को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करते समय किसी भी लिखित अनुबंध की आवश्यकता नहीं है जिसमें कोई मध्यस्थता समझौता हो।लेकिन पक्षकार स्वयं आपसी सहमति से विवाद को मध्यस्थता के लिए एकमात्र मध्यस्थ को भेजने का निर्णय ले सकते हैं।उस मामले या आकस्मिकता में, धारा 11 की उप-धारा (6) बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होगी और इसलिए, ऐसी स्थिति में, धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा।धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत एक आवेदन केवल उस मामले में बनाए रखने योग्य होगा जहां मध्यस्थता समझौते वाले पक्षों के बीच एक अनुबंध है और नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित की गई है और लिखित रूप में सहमत है।

ग

डी.

ई.

6.3 वर्तमान मामले में, एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति पक्षों द्वारा स्वयं आपसी सहमति से और मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित अनुबंध के अभाव में की गई थी।इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थता समझौते वाले किसी भी लिखित समझौते के अभाव में आवेदन बिल्कुल भी बनाए रखने योग्य नहीं था।

च

6.4 अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय एकमात्र मध्यस्थ के आदेश को समाप्त कर सकता है और अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) को ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ को इस आधार पर प्रतिस्थापित कर सकता है कि वह अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहा है और ऐसी स्थिति में पीड़ित पक्ष को अपने आदेश को समाप्त करने के लिए "अदालत" से संपर्क करना पड़ता है।

जी.

एच.

913

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

6.4.1 उपरोक्त प्रश्न/मुद्दे का उत्तर देते समय, मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति पर अधिनियम, 1996 के प्रासंगिक प्रावधानों और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया को संदर्भित करने की आवश्यकता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“11. मध्यस्थों की नियुक्ति-(1) किसी भी राष्ट्रीयता का व्यक्ति।

एक मध्यस्थ हो सकता है, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो।(2) उप-धारा (6) के अधीन, पक्षकार मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

(3) तीन मध्यस्थों के साथ मध्यस्थता में, उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, प्रत्येक पक्ष एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा, और दो नियुक्त मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करेंगे जो पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेंगे।

ग

(3 क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर मध्यस्थ संस्थानों को नामित करने की शक्ति होगी, जिन्हें परिषद द्वारा धारा 43-I के तहत वर्गीकृत किया गया हैः

डी.

बशर्ते कि उन उच्च न्यायालय की अधिकारिताओं के संबंध में, जहां कोई श्रेणीबद्ध मध्यस्थ संस्था उपलब्ध नहीं है, तो संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थ संस्था के कार्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के लिए मध्यस्थों का एक पैनल रख सकता है और मध्यस्थ के लिए किसी भी संदर्भ को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक मध्यस्थ संस्था माना जाएगा और एक पक्ष द्वारा नियुक्त मध्यस्थ चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दर पर ऐसे शुल्क का हकदार होगाःबशर्ते कि संबंधित उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर मध्यस्थों के पैनल की समीक्षा कर सकता है।]

ई.

(4) यदि उप-धारा (3) में नियुक्ति प्रक्रिया लागू होती है और-(क) कोई पक्ष दूसरे पक्ष से ऐसा करने का अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहता है; या (ख) दो नियुक्त मध्यस्थ अपनी नियुक्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर तीसरे मध्यस्थ पर सहमत होने में विफल रहते हैं, तो [नियुक्ति, पक्ष के आवेदन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित मध्यस्थ संस्था द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, या उच्च न्यायालय द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता के मामले में, जैसा भी मामला हो, की जाएगी।]

च

जी.

(5) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी समझौते को एकमात्र मध्यस्थ के साथ मध्यस्थता में विफल करना, यदि पक्षकार इस पर सहमत होने में विफल रहते हैं -

एच.

मध्यस्थ एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष से इस तरह से सहमत होने के लिए अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर 11 [नियुक्ति उप-धारा (4) में निहित प्रावधानों के अनुसार पक्ष के आवेदन पर की जाएगी;]

(6) जहां पक्षकारों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया के तहत-(क) कोई पक्ष उस प्रक्रिया के तहत आवश्यकतानुसार कार्य करने में विफल रहता है; या (ख) पक्षकार या दो नियुक्त मध्यस्थ, उस प्रक्रिया के तहत उनसे अपेक्षित समझौते पर पहुंचने में विफल रहते हैं; या (ग) कोई व्यक्ति, एक संस्था सहित, उस प्रक्रिया के तहत उसे सौंपे गए किसी भी कार्य को करने में विफल रहता है, तो [नियुक्ति, पक्ष के आवेदन पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित मध्यस्थ संस्था द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, या उच्च न्यायालय द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा अन्य मध्यस्थता के मामले में, जैसा भी मामला हो] आवश्यक उपाय करने के लिए, जब तक कि नियुक्ति प्रक्रिया पर समझौता नियुक्ति को सुरक्षित करने के लिए अन्य साधन प्रदान नहीं करता है।(6 ख) उच्चतम न्यायालय या, यथास्थिति, उच्च न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या संस्था के पदनाम को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक शक्ति के प्रत्यायोजन के रूप में नहीं माना जाएगा।]

ग

डी.

(8) उप-धारा (4), (5) और (6) में निर्दिष्ट मध्यस्थ संस्था, मध्यस्थ की नियुक्ति से पहले, धारा 12 की उप-धारा (1) के संदर्भ में संभावित मध्यस्थ से लिखित रूप में प्रकटीकरण की मांग करेगी, और (ए) पक्षकारों के समझौते द्वारा मध्यस्थ के लिए

आवश्यक किसी भी योग्यता; और (बी) प्रकटीकरण की सामग्री और अन्य विचारों को ध्यान में रखेगी जो एक स्वतंत्र और निष्पक्ष मध्यस्थ की नियुक्ति को सुरक्षित करने की संभावना रखते हैं।

ई.

च

(9) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता में एकमात्र या तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति के मामले में, 16 [सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामित मध्यस्थ संस्था] उन पक्षों की राष्ट्रीयताओं के अलावा किसी अन्य राष्ट्रीयता के मध्यस्थ की नियुक्ति कर सकती है जहां पक्ष विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संबंधित हैं।

जी.

(11) जहाँ उप-धारा (4) या उप-धारा (5) या उप-धारा (6) के तहत विभिन्न मध्यस्थ संस्थानों से एक से अधिक अनुरोध किए गए हैं, वहाँ वह मध्यस्थ संस्थान जिसे प्रासंगिक उप-धारा के तहत पहले अनुरोध किया गया है, नियुक्त करने के लिए सक्षम होगा।

एच.

915

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

क.

(12) जहां उप-धारा (4), (5), (6) और (8) में निर्दिष्ट मामला किसी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता या किसी अन्य मध्यस्थता में उत्पन्न होता है, उन उप-धाराओं में मध्यस्थ संस्था के संदर्भ को उप-धारा (3 ए) के तहत नामित मध्यस्थ संस्था के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

(13) इस धारा के तहत मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए किए गए आवेदन का निपटारा मध्यस्थ संस्था द्वारा विरोधी पक्ष को नोटिस की सेवा की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(14) मध्यस्थ संस्था मध्यस्थ न्यायाधिकरण की फीस और मध्यस्थ न्यायाधिकरण को उसके भुगतान का तरीका चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट दरों के अधीन निर्धारित करेगी।

ग

स्पष्टीकरण.— संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उप-धारा अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता और मध्यस्थता (अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा) में लागू नहीं होगी जहां पक्ष एक मध्यस्थ संस्था के नियमों के अनुसार शुल्क के निर्धारण के लिए सहमत हुए हैं।]

डी.

12. चुनौती के लिए आधार-(1) जब किसी व्यक्ति से मध्यस्थ के रूप में उसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, तो वह लिखित रूप में किसी भी परिस्थिति का खुलासा करेगा, जैसे कि (ए) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी पिछले या वर्तमान संबंध का अस्तित्व या किसी भी पक्ष में हित या विवादग्रस्त विषय के संबंध में, चाहे वह वित्तीय, व्यवसाय, व्यावसायिक या अन्य प्रकार का हो, जो उसकी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करने की संभावना है; और (बी) जो मध्यस्थता के लिए पर्याप्त समय देने की उसकी क्षमता और विशेष रूप से बारह महीने की अवधि के भीतर संपूर्ण मध्यस्थता को पूरा करने की उसकी क्षमता को प्रभावित करने की संभावना है।स्पष्टीकरण 1.— पाँचवीं अनुसूची में बताए गए आधार यह निर्धारित करने में मार्गदर्शन करेंगे कि क्या ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो मध्यस्थ की स्वतंत्रता या निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह पैदा करती हैं।स्पष्टीकरण 2.— प्रकटीकरण ऐसे व्यक्ति द्वारा छठी अनुसूची में निर्दिष्ट प्रपत्र में किया जाएगा।]

ई.

च

जी.

(2) एक मध्यस्थ, अपनी नियुक्ति के समय से और मध्यस्थता की कार्यवाही के दौरान, बिना किसी देरी के, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति का पक्षकारों को लिखित रूप में खुलासा करेगा, जब तक कि उनके द्वारा उन्हें पहले ही सूचित नहीं किया गया हो।

(3) एक मध्यस्थ को केवल तभी चुनौती दी जा सकती है जब-(क) ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हों जो उसकी स्वतंत्रता के बारे में न्यायोचित संदेह पैदा करती हों या

एच.

निष्पक्षता, या (बी) उसके पास पार्टियों द्वारा सहमत योग्यताएं नहीं हैं।

(4) एक पक्ष अपने द्वारा नियुक्त मध्यस्थ को चुनौती दे सकता है, या जिसकी नियुक्ति में उसने भाग लिया है, केवल उन्हीं कारणों से जिसके लिए वह नियुक्ति के बाद जागरूक हो जाता है।

[(5) इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद, कोई भी व्यक्ति जिसका संबंध, पक्षों या वकील या विवाद के विषय के साथ, सातवीं अनुसूची में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य होगाःबशर्ते कि पक्षकार, अपने बीच उत्पन्न हुए विवादों के बाद, लिखित में एक स्पष्ट समझौते द्वारा इस उप-धारा की प्रयोज्यता को माफ कर सकते हैं।]

ग

13. चुनौती प्रक्रिया।— (1) उप-धारा (4) के अधीन, पक्षकार एक मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं।

डी.

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किसी समझौते में विफल रहने पर, एक पक्ष जो एक मध्यस्थ को चुनौती देने का इरादा रखता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण के गठन के बारे में जागरूक होने के पंद्रह दिनों के भीतर या धारा 12 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति से अवगत होने के बाद, मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित विवरण भेजेगा।

ई.

(3) जब तक उप-धारा (2) के तहत चुनौती दिया गया मध्यस्थ अपने पद से हट नहीं जाता है या दूसरा पक्ष चुनौती के लिए सहमत नहीं होता है, तब तक मध्यस्थ न्यायाधिकरण चुनौती पर फैसला करेगा।

(4) यदि पक्षकारों द्वारा सहमत किसी प्रक्रिया के तहत या उप-धारा (2) के तहत प्रक्रिया के तहत कोई चुनौती सफल नहीं होती है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखेगा और मध्यस्थता पुरस्कार देगा।

च

(5) जहां उप-धारा (4) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार दिया जाता है, वहां मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्ष धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।(6) जहां उप-धारा (5) के तहत किए गए

आवेदन पर मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखा जाता है, वहां न्यायालय यह निर्णय ले सकता है कि जिस मध्यस्थ को चुनौती दी गई है वह किसी भी शुल्क का हकदार है या नहीं।

जी.

14. कार्य करने में विफलता या असंभवता।—(1) 3 [एक का जनादेश

एच.

मध्यस्थ को समाप्त कर दिया जाएगा और उसे दूसरे ए द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

917

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

मध्यस्थ, यदि]-(क) वह न्यायिक रूप से या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो जाता है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है; और (ख) वह अपने पद से हट जाता है या पक्षकार उसके अधिदेश को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं।

(2) यदि उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी आधार के संबंध में कोई विवाद बना रहता है, तो कोई पक्षकार, जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो जाए, जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

(3) यदि, इस धारा या धारा 13 की उप-धारा (3) के तहत, कोई मध्यस्थ अपने पद से हट जाता है या कोई पक्ष मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए सहमत होता है, तो इसका अर्थ इस धारा या धारा 12 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी आधार की वैधता की स्वीकृति नहीं होगी।

ग

15. अधिदेश की समाप्ति और मध्यस्थ का प्रतिस्थापन।—

(1) धारा 13 या धारा 14 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा, एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा-(ए) जहां वह किसी भी कारण से पद से हट जाता है; या (बी) पक्षों के समझौते द्वारा या उसके अनुसार।

डी.

(2) जहाँ एक मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाता है, वहाँ एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति उन नियमों के अनुसार की जाएगी जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू थे।(3) जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां उप-धारा (2) के तहत एक मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाता है, पहले आयोजित किसी भी सुनवाई को मध्यस्थ न्यायाधिकरण के विवेक पर दोहराया जा सकता है।

ई.

(4) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, तब तक इस धारा के तहत मध्यस्थ के प्रतिस्थापन से पहले मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई आदेश या निर्णय केवल इसलिए अमान्य नहीं होगा क्योंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण की संरचना में परिवर्तन हुआ है।

च

XXX XXX XXX

25. एक पार्टी का डिफ़ॉल्ट।—जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो**,** जहां**,** पर्याप्त कारण बताए बिना**, -**

(क) दावेदार धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसार अपने दावे के बयान को संप्रेषित करने में विफल रहता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण कार्यवाही को समाप्त कर देगा;

जी.

(ख) प्रत्यर्थी धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसार अपने बचाव के बयान को संप्रेषित करने में विफल रहता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण इसके बिना कार्यवाही जारी रखेगा।

एच.

उस विफलता को अपने आप में दावेदार द्वारा आरोपों की स्वीकृति के रूप में मानते हुए [और प्रतिवादी के बचाव का ऐसा बयान दर्ज करने के अधिकार को जब्त करने का विवेकाधिकार होगा]।

(ग) एक पक्ष मौखिक सुनवाई में उपस्थित होने या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है, मध्यस्थता न्यायाधिकरण कार्यवाही जारी रख सकता है और उसके सामने साक्ष्य पर मध्यस्थता पुरस्कार दे सकता है।

XXX XXX XXX

30. समझौता।—(1) यह विवाद के समाधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण के लिए एक मध्यस्थता समझौते के साथ असंगत नहीं है और पक्षों के समझौते के साथ, मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान किसी भी समय मध्यस्थता, सुलह या अन्य प्रक्रियाओं का उपयोग कर सकता है ताकि निपटान को प्रोत्साहित किया जा सके।

ग

(2) यदि, मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान, पक्षकार विवाद का निपटारा करते हैं, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण कार्यवाही को समाप्त कर देगा और यदि पक्षों द्वारा अनुरोध किया जाता है और मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा आपत्ति नहीं की जाती है, तो सहमत शर्तों पर मध्यस्थता पुरस्कार के रूप में समझौता दर्ज करें।(3) सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थ पुरस्कार धारा 31 के अनुसार दिया जाएगा और यह बताएगा कि यह एक मध्यस्थ पुरस्कार है।

डी.

ई.

(4) सहमत शर्तों पर एक मध्यस्थता पुरस्कार की स्थिति और प्रभाव विवाद के सार पर किसी अन्य मध्यस्थता पुरस्कार के समान होगा।

XXX XXX XXX

32. कार्यवाही की समाप्ति।—(1) मध्यस्थता कार्यवाही

च

उप-धारा (2) के तहत अंतिम मध्यस्थता पुरस्कार या मध्यस्थता न्यायाधिकरण के आदेश द्वारा समाप्त किया जाएगा।

(2) मध्यस्थता न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक आदेश जारी करेगा जहां -

(क) दावेदार अपना दावा वापस ले लेता है, जब तक कि प्रतिवादी आदेश पर आपत्ति नहीं करता है और मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद का अंतिम समाधान प्राप्त करने में उसकी ओर से वैध हित को मान्यता नहीं देता है।

जी.

(बी) पक्षकार कार्यवाही की समाप्ति पर सहमत हैं, या ए

एच.

919

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

(ग) मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने पाया कि किसी अन्य कारण से कार्यवाही जारी रखना अनावश्यक या असंभव हो गया है।

(3) धारा 33 और धारा 34 की उप-धारा (4) के अधीन रहते हुए, मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अधिदेश मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाएगा।"

उपरोक्त प्रावधानों को छोड़कर, अधिनियम, 1996 के तहत कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति और/या मध्यस्थता कार्यवाही की समाप्ति से संबंधित है।

6.4.2 धारा 13 में यह प्रावधान है कि उप-धारा (4) के अधीन, पक्षकार एक मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं और एक मध्यस्थ को चुनौती देने की प्रक्रिया पर किसी भी समझौते में विफल रहने पर, एक पक्षकार जो मध्यस्थता को चुनौती देने का इरादा रखता है, वह मध्यस्थता न्यायाधिकरण के गठन के बारे में जागरूक होने के पंद्रह दिनों के भीतर या धारा 12 की उप-धारा (3) में निर्दिष्ट किसी भी परिस्थिति से अवगत होने के बाद, मध्यस्थता न्यायाधिकरण को चुनौती देने के कारणों का एक लिखित बयान भेजेगा।धारा 13 की उप-धारा (3) के अनुसार, जब तक कि उप-धारा (2) के तहत चुनौती दिया गया मध्यस्थ अपने पद से हट नहीं जाता है या दूसरा पक्ष चुनौती के लिए सहमत नहीं होता है, यह मध्यस्थ न्यायाधिकरण को चुनौती पर निर्णय लेना है।यदि उस मामले में मध्यस्थ को कोई चुनौती सफल नहीं होती है, तो मध्यस्थ न्यायाधिकरण मध्यस्थता कार्यवाही जारी रखेगा और मध्यस्थता पुरस्कार देगा और जब उप-धारा (4) के तहत मध्यस्थता पुरस्कार दिया जाता है, तो मध्यस्थ को चुनौती देने वाला पक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 34 के अनुसार ऐसे मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन कर सकता है।इसलिए, अधिनियम की धारा 13 के अनुसार, मध्यस्थ को चुनौती मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ही दी जाएगी।

ग

डी.

ई.

तथापि, अधिनियम, 1996 की धारा 13 केवल उस मामले में लागू होगी जहां मध्यस्थ को अधिनियम, 1996 की धारा 12 में उल्लिखित आधारों पर चुनौती दी जाती है।

च

6.5 धारा 14 और 15 में मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने का प्रावधान है।अधिनियम, 1996 की धारा 14 में प्रावधान है कि मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त हो जाएगा और धारा 14 (1) (ए) में उल्लिखित किसी भी घटना के मामले में उसे किसी अन्य मध्यस्थ द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।धारा 14 की उप-धारा (2) के अनुसार, यदि उप-धारा (1) के खंड (ए) में निर्दिष्ट किसी भी आधार के संबंध में कोई विवाद बना रहता है, तो कोई पक्ष जनादेश की समाप्ति पर निर्णय लेने के लिए "अदालत" में आवेदन कर सकता है।"अदालत" शब्द को अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित किया गया है, जो इस प्रकार हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

जी.

एच.

“(ङ) "न्यायालय" का अर्थ है -

(i) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के अलावा किसी मध्यस्थता के मामले में, किसी जिले में मूल अधिकार क्षेत्र का प्रमुख दीवानी न्यायालय, और अपने सामान्य मूल दीवानी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को शामिल करता है, जिसे मध्यस्थता के विषय को बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने की अधिकार क्षेत्र है, यदि वह किसी मुकदमे का विषय था, लेकिन इसमें ऐसे प्रमुख दीवानी न्यायालय से निम्न श्रेणी का कोई दीवानी न्यायालय या कोई लघु कारण न्यायालय शामिल नहीं है।

((ii) अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के मामले में, उच्च न्यायालय को अपने सामान्य मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, मध्यस्थता के विषय-वस्तु को बनाने वाले प्रश्नों पर निर्णय लेने की अधिकारिता है, यदि वे किसी मुकदमे का विषय-वस्तु रहे हैं, और अन्य मामलों में, एक उच्च न्यायालय जिसे उस उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों के फरमानों से अपील सुनने की अधिकारिता है;]

ग

डी.

6.6 धारा 15 मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए अन्य आधार प्रदान करती है।इसमें प्रावधान है कि धारा 13 या धारा 14 में निर्दिष्ट परिस्थितियों के अलावा, एक मध्यस्थ का अधिदेश (ए) जहां वह किसी भी कारण से पद से हट जाता है; या (बी) पक्षों के समझौते द्वारा या उसके अनुसार समाप्त हो जाएगा।

ई.

जहां धारा 15 (1) (ए) और (बी) में उल्लिखित आधारों पर मध्यस्थ का अधिदेश समाप्त किया जाता है, ऐसी स्थिति में एक स्थानापन्न मध्यस्थ की नियुक्ति करनी होगी और वह भी उन नियमों के अनुसार जो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए लागू थे।

च

6.7 इसलिए, अधिनियम की धारा 13,14 और 15 के संयुक्त पठन पर, यदि मध्यस्थ को अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित किसी भी आधार पर चुनौती दी जाती है, तो व्यथित पक्ष को स्वयं मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष एक उचित आवेदन प्रस्तुत करना होगा।हालांकि, अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) में उल्लिखित किसी भी घटना के मामले में और मध्यस्थ के आदेश को इस आधार पर समाप्त करने की मांग की जाती है कि एकमात्र मध्यस्थ न्यायिक रूप से और/या वास्तविक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है या अन्य कारणों से अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है, पीड़ित पक्ष को अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित संबंधित "अदालत" से संपर्क करना होगा। संबंधित न्यायालय को ए

जी.

एच.

इस बात पर निर्णय लेना कि क्या, वास्तव में, एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायिक रूप से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो गया है या अन्य कारणों से वह अनुचित देरी के बिना कार्य करने में विफल रहता है।अदालत के समक्ष इस तरह के विवाद को उठाए जाने का कारण यह है कि धारा 14 (1) (ए) में उल्लिखित घटनाओं को एकमात्र मध्यस्थ की अयोग्यता कहा जा सकता है और इसलिए, इस तरह के विवाद/विवाद पर संबंधित अदालत के समक्ष निर्णय लेना होगा जैसा कि अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत प्रदान किया गया है।

जहाँ तक मध्यस्थ के आदेश की समाप्ति और/या अन्य प्रावधानों जैसे धारा 15 (1) (ए) में उल्लिखित कार्यवाहियों की समाप्ति है जहाँ वह किसी भी कारण से पद से हट जाता है; या (बी) पक्षों के समझौते द्वारा या उसके अनुसार, विवाद को संबंधित अदालत के समक्ष उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है।उदाहरण के लिए, जहां एकमात्र मध्यस्थ स्वयं किसी कारण से पद से हट जाता है या जब दोनों पक्ष मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने और मध्यस्थ के प्रतिस्थापन के लिए सहमत होते हैं, तो उसके बाद कोई और विवाद नहीं होता है क्योंकि या तो एकमात्र मध्यस्थ स्वयं पद से हट गया है और/या पक्ष स्वयं मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने और मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए सहमत हुए हैं।इस प्रकार, अदालत के समक्ष इस तरह के विवाद को उठाने का कोई सवाल ही नहीं है।इसलिए, कानून ने जानबूझकर यह प्रावधान किया है कि धारा 14 (1) (ए) के तहत मध्यस्थ के अधिदेश की समाप्ति के संबंध में विवाद को "अदालत" के समक्ष उठाना होगा।इसलिए, जब भी कोई विवाद और/या विवाद होता है कि धारा 14 (1) (ए) में उल्लिखित आधारों पर मध्यस्थ के आदेश को समाप्त किया जाना है, तो इस तरह के विवाद/विवाद को केवल संबंधित "अदालत" के समक्ष और अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित संबंधित "अदालत" द्वारा निर्णय के बाद उठाया जाना चाहिए और अंततः यह माना जाता है कि मध्यस्थ के आदेश को समाप्त कर दिया जाता है, उसके बाद, मध्यस्थ को तदनुसार प्रतिस्थापित किया जाना है, वह भी उन नियमों के अनुसार जो मध्यस्थ की प्रारंभिक नियुक्ति पर लागू थे।इसलिए, सामान्य रूप से और आम तौर पर, उसी प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है जिसका पालन एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति के समय किया गया था जिसका अधिदेश समाप्त कर दिया गया है और/या जिसे बदल दिया गया है।

ग

डी.

ई.

च

जी.

7. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या ऐसे मामले में जहां पक्षों ने स्वयं विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा है और पारस्परिक सहमति से एकमात्र मध्यस्थ को नियुक्त और/या नामित किया है और किसी भी मध्यस्थता समझौते के अभाव में और एक बार मध्यस्थता समझौते वाले अनुबंध

एच.

मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने और मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।

7.1 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करने के लिए अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत आवेदन पहले से ही संबंधित अदालत के समक्ष इस आधार पर लंबित था कि अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) को देखते हुए उसका अधिदेश समाप्त हो गया था।

7.2 जैसा कि ऊपर देखा गया है, धारा 11 (5) और अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत नियुक्त किए जाने वाले मध्यस्थ के बीच अंतर और अंतर है।जैसा कि ऊपर देखा गया है, पार्टियों के बीच लिखित में किसी भी मध्यस्थता समझौते के अभाव में भी, सहमति से पार्टियां विवाद को मध्यस्थता के लिए भेज सकती हैं और आपसी सहमति से एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ नियुक्त कर सकती हैं और पार्टियां किसी भी लिखित समझौते के अभाव में भी मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने की प्रक्रिया पर पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती हैं।ऐसी स्थिति में और उप-धारा (2) में निर्दिष्ट समझौते में विफल रहने पर, पीड़ित पक्ष धारा 11 की उप-धारा (5) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है और ऐसी स्थिति में धारा 11 की उप-धारा (5) को आकर्षित किया जाएगा।तथापि, जहां पक्षकारों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया पर एक लिखित समझौता है और एक मध्यस्थ या मध्यस्थ नियुक्त करने में विफलता है, उस मामले में, धारा 11 की उप-धारा (6) आकर्षित की जाएगी और एक पीड़ित पक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 11 की उप-धारा (6) के तहत एक मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है।इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन केवल उस मामले में बनाए रखने योग्य होगा जहां एक लिखित समझौता और/या मध्यस्थता समझौते और पार्टियों द्वारा सहमत नियुक्ति प्रक्रिया वाला अनुबंध है, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य होगा।अन्यथा, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा।

ग

डी.

ई.

च

7.3 वर्तमान मामले में, पक्षकार स्वयं मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए एक प्रक्रिया पर सहमत हुए और आपसी सहमति से एक मध्यस्थ को नियुक्त और नामित किया।इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत आवेदन बिल्कुल भी विचारणीय नहीं था।

जी.

8. अन्यथा भी, एक बार जब मध्यस्थ को पारस्परिक सहमति से नियुक्त किया गया था और यह आरोप लगाया गया था कि एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) को देखते हुए समाप्त कर दिया गया था, तो आवेदन ए

एच.

923

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) को देखते हुए मध्यस्थ के अधिदेश को समाप्त करना बनाए रखने योग्य नहीं होगा।एक बार मध्यस्थ की नियुक्ति हो जाने के बाद, यह विवाद कि क्या मध्यस्थ का अधिदेश अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) में निर्धारित आधारों पर समाप्त कर दिया गया है, अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन में तय नहीं किया जाना चाहिए।इस तरह के विवाद का निर्णय अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन पर नहीं किया जा सकता है और पीड़ित पक्ष को धारा की उप-धारा (2) के अनुसार संबंधित "अदालत" से संपर्क करना होगा।

14 अधिनियम से। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऊपर) के मामले में

पैरा 31 और 33, यह निम्नलिखित रूप में मनाया और आयोजित किया जाता हैः- “31. मामला उतना जटिल नहीं है जितना लगता है और हमारे विचार में, एक बार देवास द्वारा मध्यस्थता समझौते को लागू किया गया था और उसके द्वारा एक नामित मध्यस्थ भी नियुक्त किया गया था, याचिकाकर्ता द्वारा दूसरी बार मध्यस्थता समझौते को लागू नहीं किया जा सकता था,

जो प्रतिवादी द्वारा की गई नियुक्ति से पूरी तरह से अवगत था।यदि एक बार मध्यस्थ की नियुक्ति के बाद मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दूसरे पक्ष द्वारा भी शुरू की गई कार्यवाही में सवाल उठाया जा सकता है, तो यह एक विसंगत स्थिति का कारण बन सकता है।हमारे विचार में, जबकि याचिकाकर्ता निश्चित रूप से देवास के कहने पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने का हकदार था, वह 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक स्वतंत्र कार्यवाही के माध्यम से ऐसा नहीं कर सकता था। जबकि 1996 के अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश में निहित की गई है, ऐसी नियुक्ति पर उसकी धारा 13 के तहत सवाल उठाया जा सकता है।1996 के अधिनियम की धारा 11 के तहत एक कार्यवाही में, मुख्य न्यायाधीश मध्यस्थता समझौते के प्रयोग में पहले से नियुक्त एक मध्यस्थ की जगह नहीं ले सकते हैं।

ग

डी.

ई.

च

33. 1996 के अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (6) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि जहां पक्ष अपने द्वारा सहमत प्रक्रिया के संदर्भ में कार्य करने में विफल रहते हैं, वहां किसी भी पक्ष द्वारा उप-धारा (6) के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।जहां समझौते के संदर्भ में, मध्यस्थता खंड को पहले से ही आई. सी. सी. नियमों के तहत एक पक्ष द्वारा लागू किया जा चुका है, उप-धारा (6) के प्रावधानों को फिर से लागू नहीं किया जा सकता है, और यदि दूसरा पक्ष समझौते के संदर्भ में मध्यस्थ की नियुक्ति से असंतुष्ट या व्यथित है, तो उसका उपाय धारा 13 के तहत याचिका के माध्यम से होगा, और उसके बाद, 1996 अधिनियम की धारा 34 के तहत।

जी.

एच.

9. के बाद के निर्णय में उपरोक्त निर्णय के बाद

एस. पी. सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में यह न्यायालय

(ऊपर), इस न्यायालय द्वारा यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि एक बार मध्यस्थ को समझौते के खंड 65 (उस मामले में) के अनुसार नियुक्त किया गया था और कानून के प्रावधानों के अनुसार, मध्यस्थता समझौते को दूसरी बार लागू नहीं किया जा सकता था।

9.1 अब जहाँ तक प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर निर्भरता रखी जा रही है

ए. सी. सी. लिमिटेड (ऊपर) और उत्तर प्रदेश राज्य पुल के मामले

निगम लिमिटेड (उपर्युक्त) का संबंध इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णयों में निर्धारित कानून की स्थिति के संबंध में इस आशय का कोई विवाद नहीं हो सकता है कि अधिनियम, 1996 की धारा 14 और 15 में उल्लिखित किसी भी घटना के मामले में मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो जाएगा।हालांकि, सवाल उस मामले में है जहां अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) में निर्धारित आधार पर मध्यस्थता के आदेश को समाप्त करने पर कोई विवाद/विवाद है, क्या ऐसा विवाद अधिनियम की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित संबंधित "अदालत" के समक्ष उठाया जाना चाहिए या अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत किसी आवेदन पर इस तरह के विवाद पर विचार किया जा सकता है?इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त निर्णयों में ऐसा कोई

विवाद नहीं उठाया गया था।इसलिए, उपरोक्त निर्णय उत्तरदाताओं के लिए किसी भी सहायता के नहीं होंगे और/या वही मुद्दे पर निर्णय लेते समय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होंगे, क्या अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत उल्लिखित आधार पर मध्यस्थ के जनादेश की समाप्ति का निर्णय धारा 14 (2) के तहत या अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत किया जा सकता है।

ग

डी.

ई.

10. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के कहने पर अधिनियम की धारा 14 (1) (ए) के तहत एकमात्र प्रतिवादी के जनादेश को समाप्त करने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष कार्यवाही पहले से ही संबंधित अदालत के समक्ष लंबित थी जब प्रतिवादी संख्या 1 ने अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत एक आवेदन दायर किया था और ऐसा विवाद अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत एक कार्यवाही में अदालत के समक्ष बड़े पैमाने पर था।

च

जी.

11. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, इसे निम्नलिखित रूप में देखा और आयोजित किया जाता हैः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

(i) कि अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) और धारा 11 (6) के बीच अंतर और अंतर है;

एच.

925

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.] ए.

((ii) ऐसे मामले में जहां मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया पर पक्षों के बीच कोई लिखित समझौता नहीं है, पक्षकार पारस्परिक सहमति और/या समझौते द्वारा एक प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र हैं और विवाद को एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ के पास भेजा जा सकता है, जिन्हें पारस्परिक सहमति से नियुक्त किया जा सकता है और अधिनियम की धारा 11 (2), धारा 11 (5) में निर्दिष्ट किसी भी समझौते में विफल रहने पर आकर्षित किया जाएगा और ऐसी स्थिति में, मध्यस्थ या मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत बनाए रखने योग्य होगा, न कि अधिनियम की धारा 11 (6) के तहत; (iii) ऐसे मामले में जहां मध्यस्थता समझौते और नियुक्ति या प्रक्रिया के लिए एक लिखित समझौता और/या अनुबंध है।

ग

डी.

(iv) एक बार जब विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है और एकमात्र मध्यस्थ को पक्षों द्वारा आपसी सहमति से नियुक्त किया जाता है और मध्यस्थ/मध्यस्थ इस तरह नियुक्त किए जाते हैं, तो मध्यस्थता समझौते को दूसरी बार लागू नहीं किया जा सकता है।

ई.

(v) ऐसे मामले में जहां धारा 14 (1) (ए) में उल्लिखित आधार पर मध्यस्थ के आदेश को समाप्त करने पर विवाद/विवाद है, ऐसे विवाद को अधिनियम, 1996 की धारा 2 (ई) के तहत परिभाषित "अदालत" के समक्ष उठाया जाना चाहिए और इस तरह के विवाद का निर्णय अधिनियम, 1996 की धारा 11 (6) के तहत दायर आवेदन पर नहीं किया जा सकता है।

च

12. अब इस न्यायालय के विचार के लिए अगला प्रश्न यह है कि क्या विद्वत विचारण न्यायालय अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अस्वीकार करने में न्यायसंगत था, जिसे अधिनियम की धारा 14 के तहत आवेदनों को अस्वीकार करने के लिए दायर किया गया था, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन में कथनों को देखने के बाद, ऐसा प्रतीत होता है और यह विवाद में नहीं है कि अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत आवेदन को इस आधार पर खारिज करने की मांग की गई थी कि मध्यस्थ की ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई थी और इसलिए, अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत उसके आदेश को समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।लेकिन इस तरह के

जी.

एच.

926

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 7 एस सी आर।

विवाद का निर्णय संबंधित अदालत द्वारा गुण-दोष के आधार पर किया जाना है, जिसके समक्ष अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत कार्यवाही शुरू की गई थी और अधिक से अधिक, इसे बचाव पक्ष कहा जा सकता है, जिसका निर्णय संबंधित अदालत द्वारा किया जाना था।कानून की तय स्थिति के अनुसार, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेने के चरण में केवल आवेदन/वाद में कथनों और आरोपों पर विचार किया जाना है न कि लिखित बयान और/या आवेदन और/या बचाव के जवाब पर।इसलिए, विद्वत विचारण न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया।

13. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर है और इसे रद्द करने और दरकिनार करने का अधिकार है और तदनुसार इसे रद्द कर दिया जाता है और दरकिनार कर दिया जाता है।विवाद और/या विवाद, कि क्या अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के तहत एकमात्र मध्यस्थ का आदेश समाप्त हो गया है या नहीं, अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत दायर एक आवेदन पर अदालत द्वारा विचार किया जाना चाहिए।यह बताया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 और 3 ने अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत अपने आवेदन वापस ले लिए हैं।पक्षकारों के बीच पर्याप्त न्याय करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिवादी संख्या 1 और 3 को उपचार के बिना नहीं छोड़ा जाता है, हम निर्देश देते हैं कि अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत संबंधित अदालत के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 और 3 द्वारा प्रस्तुत आवेदन/आवेदन पुनर्जीवित हो जाएंगे।अब संबंधित न्यायालय, जिसके समक्ष अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत आवेदन/आवेदन दायर किए गए थे, कानून के अनुसार और अपने गुण-दोष पर जल्द से जल्द और अधिमानतः वर्तमान आदेश की प्राप्ति की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर इस पर विचार करेगा।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि अंततः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ का अधिदेश अधिनियम, 1996 की धारा 14 (1) (ए) के अनुसार समाप्त कर दिया गया है और विशेष रूप से इस आधार पर कि मध्यस्थ की ओर से मध्यस्थता की कार्यवाही को समाप्त करने में अनुचित देरी हुई थी, तो मध्यस्थ को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और उसी प्रक्रिया का पालन करके एक नए मध्यस्थ की नियुक्ति की जानी चाहिए जिसका वर्तमान एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति करते समय पहले पालन किया गया था।यदि पक्ष एकमात्र मध्यस्थ के नाम से सहमत नहीं होते हैं, तो पीड़ित पक्ष अधिनियम की धारा 11 (5) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए उपयुक्त अदालत से संपर्क कर सकता है। यदि अधिनियम की धारा 14 (2) के तहत आवेदन खारिज किए जाते हैं और यह

माना जाता है कि एकमात्र मध्यस्थ का आदेश समाप्त नहीं किया गया है और उसकी ओर से कोई अनुचित देरी नहीं हुई है, तो ऐसी स्थिति में मध्यस्थता कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ और ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

927

स्वदेश कुमार अग्रवाल बनाम दिनेश कुमार अग्रवाल एंड ओआरएस, ईटीसी, ईटीसी। [एम. आर. शाह, जे.]

न्यायालय के निर्णय से नौ महीने की अवधि के भीतर पुरस्कार की घोषणा करें जो अधिनियम, 1996 की धारा 14 (2) के तहत लिया जाएगा।उच्च न्यायालय द्वारा ए. सी. No.29/2015 और समीक्षा याचिका संख्या 655/2017 में पारित विवादित निर्णय और आदेश को इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है।उपरोक्त आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों को तदनुसार अनुमति दी जाती है।तथापि, डब्ल्यू. पी. सं. 11258/2010 और डब्ल्यू. पी. सं. 11259/2010 में पारित विवादित निर्णय और आदेश को चुनौती देने वाली अपीलें, जो सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन को खारिज करने वाले विद्वत विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश/आदेशों की पुष्टि करती हैं, एतद्द्वारा खारिज कर दी जाती हैं।मामले के तथ्यों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

ग

निधि जैन

अपीलों का निपटारा किया गया।

(सहायकः शाश्वत जैन, एलसीआरए)

डी.

ई.

च

जी.

एच.